भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3486
उत्तर देने की तारीख: 08.08.2022

नैतिक शिक्षा

3486. श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्राथमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का कोई परिभाषित पाठ्यक्रम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उच्च शिक्षा में ऐसे विषयों को भी शामिल करने की कोई व्यापक योजना है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ), 2005, जो स्कूल के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए दिशा-निर्देश और दिशा निर्धारित करती है, नैतिक विकास पर जोर देती है, मूल्य, दृष्टिकोण और कौशल जैसे मानव अधिकार, न्याय, सहिष्णुता, सहयोग, सामाजिक जिम्मेदारी, अहिंसा और सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान आदि को अंतर्निविष्ट करती है जो स्वयं के साथ और दूसरों के साथ सद्भाव के साथ रहने के लिए आवश्यक हैं। एनसीएफ, 2005 के आधार पर विकसित एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें कक्षा I-XII के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में विषय क्षेत्रों और स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नैतिक आचरण से संबंधित विषयों और उदाहरणों को निर्धारित और एकीकृत करती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक नीतिगत ढांचा - "मूल्य प्रवाह - उच्चतर शिक्षण संस्थानों में मानवीय मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता को अंतर्निविष्ट करने के लिए दिशानिर्देश" शुरू किया है । यह इस बात पर जोर देता है कि किसी संस्थान के हितधारक, चाहे वे संकाय, छात्र, प्रशासक या अन्य हों, को मूल मूल्यों जैसे सत्यनिष्ठा, समर्पण, ट्रस्टीशिप, स्थिरता, समावेशिता, प्रतिबद्धता, सम्मान, सद्भाव और अपनेपन से निर्देशित होना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति

(एनईपी), 2020 नैतिक तर्क, पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सभी बुनियादी मानवीय और संवैधानिक मूल्यों जैसे *सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति,* बलिदान, सहिष्णुता, विविधता, बहुलवाद, धार्मिक आचरण, जेंडर संवेदनशीलता, बड़ों के लिए सम्मान, सभी लोगों के लिए सम्मान और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उनकी अंतर्निहित क्षमताओं, आदि के लिए भी प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और अधिकांश स्कूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं, यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की ज़िम्मेदारी है कि उनके स्कूलों के छात्रों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित कार्रवाई करे।

****